



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डब्ल्यू.बी.-अ.-29092025-266505
CG-WB-E-29092025-266505

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4244]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 25, 2025/आश्विन 3, 1947

No. 4244]

NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 25, 2025/ASVINA 3, 1947

रेल मंत्रालय

(दक्षिण पूर्व रेलवे)

अधिसूचना

कोलकाता, 25 सितम्बर, 2025

का.आ. 4363(अ).—केन्द्रीय सरकार, रेलवे अधिनियम, 1989 (1989 का 24) की धारा 2 के खंड (7 क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से, नीचे सारणी के स्तम्भ (2) में यथा उल्लिखित विशेष रेल परियोजना की बाबत उक्त सारणी के स्तम्भ (3) में उल्लिखित राज्य में निष्पादन, अनुरक्षण, प्रबंधन और परिचालन के लिए सक्षम प्राधिकारी के रूप में कार्य करने के लिए सारणी के स्तम्भ (5) में उल्लिखित अधिकारी को प्राधिकृत करती है।

सारणी

क्रम सं.	विशेष रेल परियोजना का नाम	राज्य	प्रादेशिक अधिकार क्षेत्र	सक्षम प्राधिकारी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	बुरामारा-चाकुलिया (59.96 किलोमीटर) नई लाइन	पश्चिम बंगाल	जिला: झाड़ग्राम, पश्चिम बंगाल (4.06 किमी.)	अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (भूमि अधिग्रहण), झाड़ग्राम, पश्चिम बंगाल

[फा. सं. दपूरे/निर्माण-संगठन/मुख्यालय/भूमि/एनएल/बीडब्ल्यूए-सीकेयू/एसआरपी/सीएएलए-डब्ल्यूबी /1]

हरि प्रकाश त्रिपाठी, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (निर्माण)

MINISTRY OF RAILWAYS**(South Eastern Railway)****NOTIFICATION**

Kolkata, the 25th September, 2025

S.O. 4363(E).—In exercise of the powers conferred by clause (7A) of section 2 of the Railways Act, 1989 (24 of 1989), the Central Government hereby authorizes the officers mentioned in column (5) of the Table below to perform the functions of the competent authority in respect of the special railway project as mentioned in column (2) of the Table, for execution, maintenance, management and operation in the State mentioned in Column (3) of the said Table, with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

TABLE

Sl. No.	Special Railway Project	State	Territorial Jurisdiction	Competent Authority
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Buramara-Chakulia (59.96Km.) new line.	West Bengal	District: Jhargram, West Bengal (4.06 Km.);	Additional District Magistrate (LA), Jhargram, West Bengal;

[F. No. SER/CON-Orgn./HQ/Land/NL/BWA-CKU/SRP/CALA-WB/1]

HARI PRAKASH TRIPATHI, Chief Admin. Officer(Con.)